

बी.एड./ डी.एड. आन लाइन आबंटन 2014 हेतु दिशा-निर्देश

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त शासकीय (शिक्षा महाविद्यालयों) अनुदान प्राप्त शिक्षा अशासकीय महाविद्यालयों/गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2014-15 तथा डाइट/ बी.टी.आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम 2014-15 में प्रवेश क्रमशः प्री. बी.एड. 2014 व प्री.डी.एड. 2014 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी इस विवरणिका के साथ दिया जा रहा है। प्री. डी.एड./प्री.बी.एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी उपलब्ध होंगे।

आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है –

1. बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

(a) बी.एड. पाठ्यक्रम – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्री वर्षीय स्नातक/स्नाकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दिया जायेगा।

(b) डी.एड. पाठ्यक्रम – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर से (हायर सेकेंडरी सर्टीफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।

2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज –

(A) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु :- बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के तथा अपनी सुविधा के अनुसार MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे –

- I. 350/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402468895** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।

- II. प्री. बी.एड. परीक्षा 2014 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों का अंकसूची और यदि स्नाकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नाकोत्तर के दोनो वर्षों का अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए ही आबंटन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
- VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

(B) डी.एड. पाठ्यक्रम — डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

- I. 300/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402461389** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ संलग्न है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
- II. प्री. डी.एड. परीक्षा 2014 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- X. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- VII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- VIII. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

3. आवश्यक दिशा निर्देश –

(A) अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश – ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. <http://scert.cg.gov.in> एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। डी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgded2014> व बी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgbed2014> है।

- 1- प्री.बी.एड./प्री. डी. एड. परीक्षा निर्देशिका में MKCL केन्द्र की सूची संलग्न है इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लें।
- 2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री. बी.एड./प्री.डी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशित किये जायेंगे।
- 3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।
- 4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।
- 5- अभ्यर्थी के पुस्तिका में विकल्प फार्म का एक प्रति दिया जा रहा है।

(B) MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश –

- 1- विकल्प फार्म में दिये जाने वाले जानकारी को भरे तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लें।
- 2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी के उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है इसके लिए केन्द्र समन्वयक का सहयोग ले।
- 3- प्री.बी.एड. एवं प्री. डी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम द्वारा दी जाती है जैसे- नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवे सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें अन्यथा इस जानकारी में परिवर्तन MKCL के केन्द्र नहीं कर सकते अगर अभ्यर्थी को अपनी जानकारी सुधारनी है तो MKCL केन्द्र में under taking letter दें और अनुरोध करके एस.सी.ई.आर.टी. के उच्च स्तरीय समिति से संपर्क कर सुधार कर लें तथा सुधार कर ली गई है यह निश्चित कर लें। (व्यापम द्वारा जारी किये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- 4- इसके पश्चात् MKCL केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकाले दोनो प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन करायें।
- 5- किसी प्रकार की त्रुटि होने के स्थिति में ऑनलाइन उसे ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवायें।
- 6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे।
- 7- विकल्प फार्म की एक प्रति केन्द्र अपने पास अनिवार्यतः रखें तथा एक अभ्यर्थी को दें। यदि किसी कारणवश प्रिन्ट नहीं निकल रहा हो तो विकल्प फार्म नहीं भरवायेंगे।
- 8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि वे उन्ही महाविद्यालयों का विकल्प देवे जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- 9- अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी चयन की सूचना वे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

I. निर्धारित दिवस को केन्द्र में पहुंचकर जहां विकल्प फार्म भरा है वहाँ सूची देखकर।

II. MKCL के एस.एम.एस. से या एस.सी.ई.आर.टी. के Websit : <http://scert.cg.gov.in> में तथा बी.एड. के लिए MKCL के websit <http://oasis.mkcl.org/cgbed2014>, डी.एड. के लिए <http://oasis.mkcl.org/cgded2014> में अपना विकल्प फार्म क्रमांक submit कर देख सकते हैं।

10- आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

11- आबंटन की सूची वेबसाइट में देखी जा सकती है। इसके पश्चात् अपना आबंटन पत्र MKCL के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना Application No. या प्री.बी.एड./ प्री.डी.एड. परीक्षा का रोल नम्बर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट से कही भी

निकाला जा सकता है। आपने अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस. नहीं मिलने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नहीं होगी।

(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –

1. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए थे उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
3. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को MKCL के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
4. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि (प्रवेश के लिए) में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
7. MKCL के वेबसाइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई. डी. व पासवर्ड इंटर कर login करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहें। महाविद्यालय के आबंटित सभी अभ्यर्थियों को बाइडीफाल्ट प्रवेशित माना जाता है। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण का सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

4. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित है –

4.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/MKCL केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी MKCL केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

4.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैंक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे –

ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

- 4.4 प्रत्येक चरण में विकल्प भन्ने की अंतिम तिथि के अगले दिन उस चरण हेतु शामिल किये जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची MKCL के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूची में अपना नाम देख लें।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
6. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर